सख्ती • हाई कोर्ट ने एनएच जाम करने समेत 3 मामलों पर मांगा था शपथ पत्र

कानून का डर खत्म हो रहा, पुलिस सिर्फ जुर्माना लगा रही, यह राज्य के लिए गंभीर खतरा: कोर्ट

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने गाडियां खड़ी कर नेशनल हाईवे जाम करने समेत तीन मामलों पर शपथ पत्र मांगा था। गुरुवार को बताया गया कि पुलिस ने जुर्माना किया है। गाड़ियां थाने में खड़ी हैं। आरोपी मुचलके पर छोड़े गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का भय खत्म हो रहा है और पुलिस सिर्फ जुर्माने से काम चला रही है, तो यह राज्य के लिए गंभीर खतरा है। हाई कोर्ट ने तीनों मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही कहा कि अगली सुनवाई में संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आई, तो संबंधित अधिकारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

20 जुलाई को रतनपुर के पास छह लग्जरी कारों में सवार युवकों ने नेशनल हाईवे को फिल्म सेट बना दिया। कारों को बीच सड़क पर खड़ा कर स्टंट किए, तेज लाइट और वीडियोग्राफर के साथ इंस्टाग्राम रील बनाई। वेदांत शर्मा नाम के युवक ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जो वायरल हो गया। पहले तो पुलिस ने सिर्फ 2-2 हजार का चालान काटा। अगले दिन हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गाड़ियां जब्त कीं। सभी के ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए सस्पेंड किए गए। सनरूफ से बाहर स्टंट कर ले रहे थे सेल्फी

रिवर व्यू इलाके में युवक चलती कार के सनरूफ से निकलकर वीडियो और सेल्फी लेते नजर आए। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हाई कोर्ट ने पूछा कि पुलिस ने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर क्या कार्रवाई की?

एनएच के सकरी- पेंड्रीडीह बाइपास पर गाड़ियां खड़ी कर बना रहे थे रील

सड़क पर बर्थडे पार्टी और डीजे पर डांस किया

एक स्थानीय युवक ने फिल्म अभिनेता का जन्मदिन मनाने सड़क के बीचों-बीच दोस्तों संग केक काटा, डीजे पर नाचा और ट्रैफिक को रोक दिया। पूरा मामला इंटरनेट पर वायरल हुआ, लेकिन पुलिस ने दिखावे की कार्रवाई कर खानापूर्ति कर ली।

हाई कोर्ट ने कहा -सड़क किसी की निजी संपत्ति नहीं

हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी हरकतें आम लोगों की जान जोखिम में डालती हैं। सड़कें किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं। 2 हजार रुपए का जुर्माना कोई सजा नहीं बल्कि कानून का मजाक है। पुलिस की ढुलमुल कार्रवाई अमीरजादों को कानून से ऊपर होने का हक देती है।

स्कूल में करंट से झुलसा था छात्र; अब प्रदेशभर के 45 हजार स्कूलों का निरीक्षण करेंगे अफसर

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

बिलासपुर के प्राथमिक स्कूल सेंदरी में हाल ही में एक छात्र को बिजली के करंट का झटका लग गया। हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीएसपीडीसीएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर करंट प्रवाहित कर रहे तार को काटा और खामी को सुधार दिया है। वहीं, स्कूल के प्राचार्य ने निजी इलेक्ट्रीशियन से फॉल्ट वायरिंग बदलवाई। गुरुवार को हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह जानकारी दी गई।

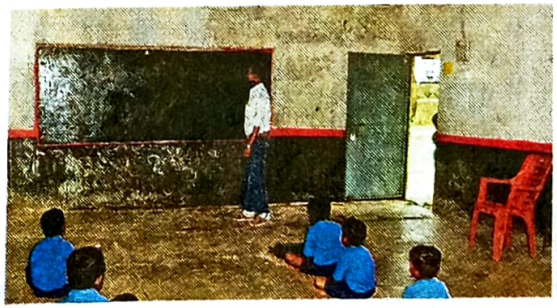

शहर से लगे मंगला के प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर सीपेज है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। जॉइंट डायरेक्टर, स्कूल शिक्षा विभाग को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं।सेंदरी के प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे को करंट लग गया था, इससे छात्र झुलस गया था। खबर पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद 13 जुलाई 2025 को विभाग के जेई ने निरीक्षण किया। पाया कि स्कूल की छत पर बारिश का पानी जमा था, जिससे दीवारें गीली हो गई थीं। बिजली का एलटी लाइन का तार दीवार से सटकर गुजर रहा था और इससे ही छात्र झुलसा था।